

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 3-3/2013/26-2
प्रति,

दिनांक ७-२-२०१५

1. पदाभिहित अधिकारी,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त नगर निगम,
मध्यप्रदेश
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी,
समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी,
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.
जी.-07. दिनांक 24 फरवरी, 2014 में शामिल सेवा क्रमांक 7.6

-0-

1. सेवा का उद्देश्य:- ऐसे दम्पति जिनकी केवल कन्याएँ हैं उनके लिये कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पतियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत पात्र आवेदक दंपति को संयुक्त रूप से प्रतिमाह रु. 500 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है।
 2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा:- इस सेवा के लिये ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त नगर निगम अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी।
 3. आवेदन पत्र का प्रारूप:- इस सेवा के लिए आवेदन संलग्न प्रारूप परिशिष्ट -'एक' में किया जायेगा।
 4. पात्रता की शर्त:-
 - मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
 - दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
 - दम्पति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो।
 - दम्पति आयकरदाता न हो।
- नोट:- जो हितग्राही पात्रता के मापदण्ड में नहीं आता वह सब अपात्र कहलायेंगे यदि किसी हितग्राही ने उनके पुत्र की जानकारी छिपाकर शासन योजना का लाभ प्राप्त किया है भले ही उनका पुत्र उनको साथ नहीं रख रहा हो अपात्र माने जाएंगे। केवल जीवित कन्या ही हैं तथा आयकर दाता नहीं है, के आशय का घोषणा पत्र नहीं देते, वह अपात्र माने जायेंगे।
5. आवश्यक दस्तावेज:-
 - 5.1 आयु एवं निवास के लिए निम्नलिखित में से कोई एक
 - स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची

७

- 6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र निर्धारित समय-सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
- 6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।
7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
- 7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- 7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर यदि उपलब्ध हो तो लिया जावे।
- 7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा अगले माह की एक तारीख अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- 7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
- 7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर पेंशन का स्वीकृति आदेश जारी करेगा।
- 7.7 सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण-पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केन्द्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र की साफ्टवेयर से प्रिन्टआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करायेगा।
- 7.8 यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाईन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा।
- 7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिन्टआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा-



प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया:-

- 8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8.3 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को 5 कार्य दिवस में जांच हेतु भेजा जायेगा।
- 8.4 उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर 20 कार्य दिवस में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।
- 8.5 उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन के आधार स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों में आवेदक को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के समग्र पेंशन पोर्टल <http://pensions.samagra.gov.in/> पर अनिवार्यतः पंजीकृत एवं सत्यापित किया जाये।(पूर्व से पंजीकृत एवं सत्यापित होने की दशा में अनिवार्य नहीं)
- 8.6 प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जायेगी। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक के माह से किया जायेगा अर्थात् यदि 30 मई 2015 को आवेदन किया गया है तो माह मई 2015 की पेंशन देय होगी।
प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी। 8.3 से 8.6 तक की संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी।
इस तरह स्वीकृत/अस्वीकृत पेंशन प्रकरणों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के समक्ष आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
- 8.7 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के स्वीकृति आदेश पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृति आदेश ऑनलाईन जारी किया जायेगा और उन पर डिजीटल हस्ताक्षर किया जाएगा। इस तरह जारी होने वाले समस्त स्वीकृति आदेश की एक डिजीटल रिपोजिटरी वेबसाईट पर संधारित की जायेगी ताकि शंका होने पर स्वीकृति आदेश की पुष्टि की जा सके।

9. शुल्क -

- 9.1 निःशुल्क - वे हितग्राही जो कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये लोक सेवा केन्द्र का निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में नहीं है ऐसे आवेदकों के आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे प्राप्त किये जा सकेंगे एवं ऐसे आवेदनों को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित

७

की गई समय सीमा के भीतर ही निराकृत करना होगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों की जानकारी समीक्षा के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाये।

9.2 सशुल्क :- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क (प्रोसेस शुल्क) केवल रु. 30/- जमा करना होगा।

10. समग्र पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों पेंशन भुगतान की व्यवस्था:-

10.1 वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1949/आर 1133/चार/ब-1/09, दिनांक 05/11/2012 के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक/लेखा/2013/313, दिनांक 21/03/2013 द्वारा चिन्हित मदों में केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था लागू की गई है। समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजनाओं यथा पेंशन योजनाओं के बजट को ग्लोबलाईज किया गया है।

10.2 जिन हितग्राहियों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में है अथवा कोर बैंकिंग से जुड़े हैं उनके खातों में पेंशन राशि का भुगतान सीधे कोर बैंकिंग के माध्यम से उनके खातों में कर दिया जायेगा।

10.3 जिन हितग्राहियों के खाते कोर बैंकिंग से जुड़े किसी बैंक में न होकर डाकघर इत्यादि में है उनके लिये जिले स्तर पर नोडल खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये हैं इन खातों से हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान किया जाये।

10.4 पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करे प्रतिमाह पेंशन राशि हितग्राहियों के खाते में प्रदान की जा रही है तथा उन हितग्राहियों की जानकारी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाये जिनकी पेंशन राशि उनके खाते में नहीं जा रही हो। ऐसे खातों के खाते नम्बर, खाताधारक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड की जांच कराई जाये ताकि सही खाते में राशि प्रदाय की जाये।

10.5 पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है वे वर्तमान तिथि में उपलब्ध है अथवा नहीं इस संबंध में प्रत्येक माह का देयक तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय/जनपद पंचायत से उन हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त की जाये जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा जो तीन माह से अधिक समय से बाहर चले गये हो।

11. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण-

(1) परिपत्र क्रमांक एफ 3-3/2013/26-2

दिनांक 01/04/2013

एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:- पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी करने के पूर्व हितग्राही के निवास के निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया जाये तथा स्वीकृति आदेश में बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं उसका खाता क्रमांक अंकित कर जारी किया जाये। यह कार्यवाही पदाभिहित अधिकारी को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में दी गई 60 दिवस की तय समय-सीमा के भीतर ही करना होगी। नवीन स्वीकृति आदेश के पश्चात् हितग्राही के खाते में प्रथम किश्त के जारी होने पर ही पेंशन स्वीकृति आदेश विधिमान्य होगा।

७

12. अपील:-आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी-

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगर पालिका/ नगर परिषद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस

DD (SS)
10 FEB 2015



(डॉ. एम. मोहन राव)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं


निःशक्तजन कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 9-2-2015

पृ.क्र.एफ 3-3 / 2013 / 26-2

प्रतिलिपि :-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म0प्र0 भोपाल
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल
7. मिशन संचालक, म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन



उप सचिव

म0प्र0 शासन

सामाजिक न्याय एवं

निःशक्तजन कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत जिला
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्
जिला

आवेदक
दम्पति का
संयुक्त
फोटो

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र।

आवेदक दम्पति का परिवार समग्र कोड क्रमांक

आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक दम्पति का विवरण -

दम्पति का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि/ उम्र	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
पति			
पत्नी			

4. (अ) मूल निवास स्थान का पूर्ण पता -

पति -

पत्नी -

(ब) वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता -

पति-

पत्नी-

4. परिवार का विवरण -

क्र०	परिवार के सदस्यों के नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

6. दम्पति के पुत्रियों का विवरण

क्र०	पुत्री का नाम	उम्र	विवाह होने की तिथि	विवाह किससे व कहां हुआ
1				
2				
3				

आवेदक दम्पति के राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाते का विवरण -

दम्पति	बैंक का नाम व पता	आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक खाता क्रमांक
पति			
पत्नी			

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर पति

हस्ताक्षर पत्नी

अभिकथन

उक्त जानकारी हमारे द्वारा सही भरी गई है।

दम्पति के हस्ताक्षर

पति

पत्नी

प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा

यह प्रमाणित किया जाता है कि दम्पति श्री/श्रीमती जिनमें से श्री/श्रीमती ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और उनके द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। दम्पति की निम्नांकित कन्यायें थीं जिनका विवाह हो चुका है।

- 1.
- 2.
- 3.

उक्त दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आता है।

उक्त दम्पति को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत सरपंच/वार्ड प्रभारी

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

हम श्री पिता का नाम
श्रीमती उम्र
निवासी
जिला शपथपूर्वक कथन करते हैं कि

1. हम मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं।
2. हमारी उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
3. हमारी कोई पुत्र संतान नहीं है।
4. हम आयकरदाता नहीं हैं।
5. हमारी निम्नांकित पुत्रियां थीं जिनका विवाह हो चुका है :-

क्र०	पुत्री का नाम	विवाह होने की तिथि
1		
2		
3		

हम इस योजना के अंतर्गत अन्य किसी स्थान से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है। इसमें किसी तरह की असत्य जानकारी और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई असत्य जानकारी पाये जाने पर हमारी पेंशन बंद कर दी जाये। हमारे द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि शासन को वापस कर दी जायेगी।

गवाह

हस्ताक्षर पति

1. नाम एवं हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर पत्नी

2. नाम एवं हस्ताक्षर.....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	-	----- ----- -----
1. आवेदक का नाम एवं पता	-	----- ----- -----
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त का दिनांक	-	-----
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	-	-----
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	-	----- ----- -----
4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	-	-----

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप
 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम
 माह वर्ष

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)